न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क0 ~~निगरानी 5627 / 2018 / भू.रा. /~~ छतरपुर / भू.रा.

निगरानी - 5627/2018/छतरपुर/भू.रा.

धनीराम तनय मनुंवा काछी
निवासी – गुरैयां, तहसील व जिला
छतरपुर, म0प्र0

––– आवेदक

विरूद्ध

2–म0प्र0 शासन द्वारा अनुविभागीय
अधिकारी अनुभाग छतरपुर, म0प्र0

––– अनावेदक

प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 29/8/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 30 8 18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.05.2018 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग छतरपुर के प्रकरण कमांक 116 / अपील–अ–6–अ / 2017–18 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, ग्राम गुरैया की भूमि खसरा नं0 62, 70 / 1, 70 / 2, 74 / 9 एकत्र रकवा 3.567 है0 भूमि आवेदक के पिता मनुवा काछी के नाम सन् 1952–53 में दर्ज थी, जो आवेदक की पुस्तैनी भूमि थी, जिसे तहसीलदार छतरपुर द्वारा पंजी कमांक 7 आदेश दिनांक 27.12.96 के अनुसार भूमि स्वामी घोषित किया गया।

2 – यह कि, उक्त आदेश का अमल तत्कालीन पटवारी द्वारा न करने से आवेदक द्वारा रिकॉर्ड सुधार हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 53 / अ–6अ / 06–07 को पंजीबद्ध कर विधिवत्

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5627/2018/छतरपुर/भू.रा. धनीराम विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 116/अपील-अ-06-अ/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 21-05-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-08-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 01/02/2019 सदस्य	